रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 .....

प्रार्थना पत्र के सलग्न में जांच की गई। जिसके अनुसार

प्रार्थी निवेदन किया प्रार्थी का नाम जमाबंदी में बालूराम पुत्र दलाराम है। वास्तव में प्रार्थी का नाम बुलाराम पुत्र भगवाना है। प्रार्थी के पहचानपत्र आधारकार्ड में नाम बुलाराम पुत्र भगवाना दर्ज है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/ दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित पत्र निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है/नहीं की जाती है।

1439
17/11/24

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 17/11/2024

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	दीपपुरा	2075-78	104	बालूराम पुत्र भगवाना	बुलाराम पुत्र भगवाना

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 17/11/24

राजस्व/2020/1152-53

तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।

प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:12:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner